



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 10 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल, निवासी जनपद-कासगंज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह (बंदी संख्या-29184) पुत्र श्री नेत्रपाल, जो नगला बांस, थाना-अमांपुर, जनपद-कासगंज का निवासी है। दिनांक 08-10-2010 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 05 वर्ष की एक बच्ची का बलात्कार करके गला घोटकर हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-45/2011 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0-1, कासगंज के आदेश दिनांक 21-11-2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 41 वर्ष, 04 माह, 18 दिन है। बंदी द्वारा दिनांक 15-10-2024 तक 14 वर्ष, 06 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह (बन्दी संख्या-29184) पुत्र श्री नेत्रपाल, निवासी जनपद-कासगंज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-213(1)के-2/22-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक 10 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह (बंदी संख्या-29184) पुत्र श्री नेत्रपाल, जो नगला बांस, थाना-अमांपुर, जनपद-कासगंज का निवासी है। दिनांक 08-10-2010 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 05 वर्ष की एक बच्ची का बलात्कार करके गला घोटकर हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-45/2011 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0-1, कासगंज के आदेश दिनांक 21-11-2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु 41 वर्ष, 04 माह, 18 दिन है। बंदी द्वारा दिनांक 15-10-2024 तक 14 वर्ष, 06 दिन की अपरिहार तथा 15 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शुकलू शेखर उर्फ भूप सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।